प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.02.2026

बाल श्रम, भिक्षावृत्ति एवं अन्य शोषण से बच्चों को मुक्त कराने हेतु गाजियाबाद पुलिस का विशेष अभियान, 166 बच्चों को मुक्त कराया गया।

वर्ष 2025 एव वर्ष 2026 में थाना ए0एच0टी0 पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में श्रीमान पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एंव अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल के निकट पर्यवेक्षण में शासन की मंशा के अनुरूप थाना - ए0एच0टी0 प्रभारी के नेतृत्व में गाजियाबाद के विभिन्न चिन्हित स्पाटो पर भिक्षावृत्ति/बालश्रम एवं बाल विवाह में लिप्त बालक /बालिकाओं के अनुरक्षण हेतु ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन की कार्यवाही के दौरान विभिन्न स्पॉटो से **कुल 166 बालक/बालिकाओं का रेस्क्यू** कर समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए सी0डब्लू0सी0 के समक्ष पेश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जिससे आम जनमानस द्वारा पुलिस कार्यवाही की प्रशंसा की गयी एवं पुलिस कार्यवाही से भिक्षावृत्ति/बालश्रम एवं बाल विवाह करने व कराने वालो पर प्रभावी रोक लगी है।

क्र0सं0	जोन	नाम स्पॉट	रैस्क्यू किये गये बालक/बालिका की संख्या
1	नगर जोन	कोतवाली	17
		विजय नगर	32
		नन्दग्राम	23
		कविनगर	12
2	ट्रांस हिण्डन जोन	इन्द्रापुरम	14
		कौशाम्बी	13
		साहिबाबाद	17
3	ग्रामीण जोन	मसूरी	16
		मुरादनगर	22
कुल योग नगर/ट्रांस हिण्डन/ ग्रामीण जोन			**166**

स्टोरी - 01

दिनांक-29.01.2026 को बालश्रम के विरुद्ध चलाये गये अभियान में बालक उम्र करीब 17 वर्ष निवासी- नन्दग्राम थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद को नियोजक फैशन कलैक्शन पर कार्य करते हुए पाये जाने के उपरान्त रैस्क्यू कर माता को सुपुर्द किया गया। रेस्क्यू के समय बालक द्वारा बताया गया कि वह परिवार की आर्थिक तंगी के कारण कार्य कर

रहा है। जिस पर नियोजक/एवं पर्यवेक्षक माता-पिता को बच्चे की मौलिक अधिकार शिक्षा एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही पूर्ण की गयी।

स्टोरी-02

दिनांक-29.01.2026 को बालश्रम के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत बालक 1.उम्र 16 बर्ष निवासी- ग्राम वल्लाह पीरागढी सीतामढी बिहार 2. उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम परसा सीतामढी बिहार को नियोजक वीर श्री वीर जी हलवाई/चाय वाले निकट कान्वेन्ट स्कूल नन्दग्राम, गाजियाबाद पर चाय की दुकान पर कार्य करते हुए पाये जाने पर नियोजक एवं पर्यवेक्षक माता-पिता को बालक के मौलिक अधिकार शिक्षा एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।। उक्त सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही पूर्ण की गयी।

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 83,770/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 11.01.2026 को वादिया द्वारा थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी और बताया कि वादिया के साथ कस्टमर केयर नंबर से कॉल कर हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 83,770/- रूपये के सम्बंध में तहरीर प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 318(2) बी0एन0एस0 व 66-डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आज दिनांक 12.02.2026 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी के द्वारा वादिया की सम्पूर्ण धनराशि 83,770/- रुपये वापस कराई गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दिनांक 11.01.2026 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को आवेदिका के साथ हुए कस्टमर केयर नंबर से कॉल कर हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 83,770/- रूपये के सम्बंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर धारा 318(2) बी0एन0एस0 व 66-डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 12.02.2026 को शिकायत कर्ता के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 83,770/- रुपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद।